



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

सं. सी-20017/02/डीपीसी/प्रशा.(भर्ती)/2020/ 12/

11 सितंबर, 2020

आदेश

केन्द्रीय बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 सितंबर, 2020 को समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों की स्वीकृति के फलस्वरूप निम्नलिखित कर्मचारियों को जो वर्तमान में एम.टी. एस. के पद पर कार्यरत हैं, को सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के अनुसार पे-मेट्रिक्स के लेवल -2 में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम
1	श्री रूपेन चंद
2	श्री प्रहलाद बघेल

02. अवर श्रेणी लिपिक के पद पर उनकी प्रोन्नति उनके द्वारा अवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यग्रहण करने पर ही प्रभावी होगी।
03. उपर्युक्त लेवल में उनका वेतन उनसे विकल्प की प्राप्ति पर नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।
04. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(सुनील कुमार आनंद)
प्रशासनिक अधिकारी (क्र)

वितरण:-

1. श्री रूपेन चंद, एम.टी. एस.
2. श्री प्रहलाद बघेल, एम.टी. एस., क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल
3. संबंधित प्रभारी
4. प्रभारी (लेखा विभाग)
5. प्रभाग प्रमुख, आई.टी - कृपया इस आदेश को केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवा दें।
6. सदस्य सचिव के निजी सचिव
7. संबंधित कर्मचारी की कार्मिक फाइल
8. कार्यालय आदेश फाइल
9. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक) की मास्टर फाइल